न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —118 / 2019

अनवान : —

1. शिवप्रकाश पुत्र भादरसिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये माता मुकेश जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. मनीता पुत्री भादरसिंह आयु 15 वर्ष नाबालिगान जरिये मुकेश जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. मुकेश पत्नी भादरासिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

— वादीगण

ब ना म

1. भादरसिंह पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा
2. आर एम जी बी शाखा मलखेडा जरिये शाखा प्रबन्धक मलखेडा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी वकील **वादीगण**
श्री विक्रम शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 28/01/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 54 / 48 के मु0 नं0 50 किला नं0 19,22,23, मु0 नं0 52 किला नं0 3,4, 8,9, 12, की कुल 1.368 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम 1 / 4 हिसा अर्थात 0.342 हैक्टैयर खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं0 48 / 41 के मु0 नं0 21 किला नं0 1 ता 3, 4 / 2, 7 ता 14, 16 ता 20, मु0 नं0. 22 किला नं0 4 ता 6, 15 व 16 कुल 5.439 हैक्टेयर नहरी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम 1 / 4 हिससा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं0 62 / 44 के मु0 नं0 3 किला नं0 7,8, 12 ता 14, की 1.265 हैक्टैयर खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से 1 / 4 हिसा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 14 ए एम एस के खाता सं0 91 / 185 के मु0 नं0 18 किला नं0 1 ता 5, मु0 नं0 43 किला नं0 1 ता 3 कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से 1 / 4 हिसा खातेदारी दर्ज है, इसी प्रकार चक 14 एएमएस के ही खाता सं0 100 / 103 के मु0 नं0 3 किला नं0 24 व 25, मु0 नं0 11 किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17 व 24 तथा 25 की 3.036 हैक्टैयर नहरी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से 5 / 24 हिसा खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा हरपतराम की खातेदारी हुआ करती थी। हरपतराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी

भादरसिंह के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी भादरसिंह कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी भादरसिंह अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी भादरसिंह के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ने न्यायालय मे उपस्थित होकर वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये इकबालदावा पेश किया , प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादीगण ने तर्क कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 3 स्टेट की तरफ से जवाबदावा पेश हुआ। मुख्य प्रतिवादी भादरसिहं के द्वारा इकबालदावा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी मुकेश पत्नी भादरसिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी वादभूमि चक 12 एएमएएस सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श – 1 है, जमाबन्दी चक 14 एएमएस सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श – 2 है, जमाबन्दी चक 18 एएमएस सम्वत 2073 ता 2076 प्रदर्श – 3 है चक 14 एएमएस जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 प्रदर्श – 4 है। जमाबन्दी चक 1 एसडीआर सम्वत 2074 से 2077 प्रदर्श – 5 है। जमाबन्दी चक वादभूमि सम्वत 2029 से 2038 प्रदर्श्र्श – 6 है। जमाबन्दी चक 18 एएमएस सम्वत 2029 से 2038 प्रदर्श – 7 है। चक 1 एसडीआर जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 प्रदर्श – 8 है। जमाबन्दी चक 14 एएमएस सम्वत 2026 प्रदर्श 9 है। वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श – 10 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक अनुतोष वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में चक 1 एसडीआर के खाता सं0 54/48 के मु0 नं0 50 किला नं0 19,22,23, मु0 नं0 52 किला नं0 3,4, 8,9, 12, की कुल 1.368 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम जो 1/4 हिसा अर्थात 0.342 हैक्टैयर खातेदारी व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं0 48/41 के मु0 नं0 21 किला नं0 1 ता 3, 4/2, 7 ता 14, 16 ता 20, मु0 नं0. 22 किला नं0 4 ता 6, 15 व 16 कुल 5.439 हैक्टेयर नहरी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम जो 1/4 हिससा खातेदारी व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं0 62/44 के मु0 नं0 3 किला नं0 7,8, 12 ता 14, की 1.265 हैक्टैयर खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी व चक 14 ए एम एस के खाता सं0 91/185 के मु0 नं0 18 किला नं0 1 ता 5, मु0 नं0 43 किला नं0 1 ता 3 कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी दर्ज है, उसमें प्रतिवादी भादरसिंह ने अपना हिससा वादीगण के पक्ष मे हक त्याग किया है। इसलिये वादीगण अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना इकबालावा पेश किया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 54/48 के मु0 नं0 50 किला नं0 19,22,23, मु0 नं0 52 किला नं0 3,4, 8,9, 12, की कुल 1.368 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भादरसिंह के नाम जो 1/4 हिसा अर्थात 0.342 हैक्टैयर खातेदारी व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं0 48/41 के मु0 नं0 21 किला नं0 1 ता 3, 4/2, 7 ता 14, 16 ता 20, मु0 नं0. 22 किला नं0 4 ता 6, 15 व 16 कुल 5.439 हैक्टेयर नहरी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम जो 1/4 हिससा खातेदारी व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं0 62/44 के मु0 नं0 3 किला नं0 7,8, 12 ता 14, की 1.265 हैक्टैयर खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी व चक 14 ए एम एस के खाता सं0 91/185 के मु0 नं0 18 किला नं0 1 ता 5, मु0 नं0 43 किला नं0 1 ता 3 कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी दर्ज है, उसमें वादीगण बहिसा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी भादरसिंह ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में प्रतिवादी भादरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादभूमि वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार राज़स्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —118/2019

अनवान : —

1. शिवप्रकाश पुत्र भादरसिंह आयु 13 वर्ष नाबालिग जरिये माता मुकेश जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
2. मनीता पुत्री भादरसिंह आयु 15 वर्ष नाबालिगान जरिये माता मुकेश जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।
3. मुकेश पत्नी भादरासिंह जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा।

— वादी

ब ना म

1. भादरसिंह पुत्र हरपतराम जाति जाट निवासी मलखेडा तहसील भादरा
2. आर एम जी बी शाखा मलखेडा जरिये शाखा प्रबन्धक मलखेडा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि चक 1 एसडीआर के खाता सं0 54/48 के मु0 नं0 50 किला नं0 19,22,23, मु0 नं0 52 किला नं0 3,4, 8,9, 12, की कुल 1.368 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम जो 1/4 हिसा अर्थात 0.342 हैक्टैयर खातेदारी व इसी प्रकार चक 12 एएमएस के खाता सं0 48/41 के मु0 नं0 21 किला नं0 1 ता 3, 4/2, 7 ता 14, 16 ता 20, मु0 नं0. 22 किला नं0 4 ता 6, 15 व 16 कुल 5.439 हैक्टेयर नहरी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम जो 1/4 हिससा खातेदारी व इसी प्रकार चक 18 एएमएस के खाता सं0 62/44 के मु0 नं0 3 किला नं0 7,8, 12 ता 14, की 1. 265 हैक्टैयर खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी व चक 14 ए एम एस के खाता सं0 91/185 के मु0 नं0 18 किला नं0 1 ता 5, मु0 नं0 43 किला नं0 1 ता 3 कुल 2.024 हैक्टेयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी भादरसिंह के नाम से जो 1/4 हिसा खातेदारी दर्ज है, उसमें वादीगण बहिसा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी भादरसिंह ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष मे त्याग किया है , इसलिये हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में प्रतिवादी भादरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादभूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा (राज०)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 12:16:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: